सागर, दिनांक 05/06/2021

नोटशीट

महाविद्यालय में नेक प्रत्यानन इस सत्र में होना है। अकादमिक गुणवत्ता उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए तथा नेक क्राइटेरिया के घंटक 'करिकुलम एनरिचमेंट' हेतु मूल्य संवर्धित (Value Added) प्रमाण–पत्र कोर्स, संचालन का निर्णय, आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के प्रस्ताव पर लिया गया था एवं नियमानुसार नियमावली बनायी गयी थी जिसके अंतर्गत 17 कोर्स (सशुल्क) IQAC के तत्वाधान में महाविद्यालय में संचालित किये गये।

कोर्स का आय/व्यय ब्यौरा संलग्न है। व्यय देयक, अनुमति एवं स्वीकृति तथा भुगतान हेतु प्रस्तुत। सर्टिफिकेट कोर्स का लेखा निम्नानुसार है –

क्र.	विवरण	राशि
1.	HDFC बैंक में छात्राओं द्वारा ऑनलाइन जमा की गई राशि (शुल्क)	2,02,028=00
2.	HDFC बैंक में कोर्स समन्वयक द्वारा नगद जमा की गई राशि	2,13,267=00
3.	कुल आय (शुल्क द्वारा)	**4,15,295=00**
4.	**व्यय :**	
	(i) मानदेय	2,88,573=00
	(ii) प्रिंटिंग	62,625=00
	(iii) अन्य	20,859=00
	(iv) संस्था को देय 10%	41,530=00
5.	कुल व्यय	**4,13,587=00**
6.	शेष राशि (3–5)	1,708=00

(डॉ. अंजना नेमा)
IQAC प्रभारी

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय,
सागर (म.प्र.)

Expenses may be processed

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर
Reaccredited Grade "A" by NAAC
Office Phone/Fax - 07582-404480
Email - heggpgcsag@mp.gov.in

प्रमाण–पत्र कोर्स संचालित करने हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में बैठक दिनांक 20 नवम्बर 2020 को आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति रही –

1. डॉ. बी.डी. अहिरवार – प्राचार्य
2. डॉ. नवीन गिडियन – नेक प्रभारी
3. डॉ. अंजना नेमा – IQAC प्रभारी
4. डॉ. संजय खरे – सदस्य
5. डॉ. भावना यादव – सदस्य

बैठक में नेक के क्राइटेरिया–1 करिकुलम एनरिचमेंट में अधिकतम अंक अर्जित करने के दृष्टिकोण से 30 घंटे के प्रमाण–पत्र कोर्स प्रारंभ करने की चर्चा की गयी एवं अकादमिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तत्संबंध में समस्त सदस्यों द्वारा प्रमाण–पत्र कोर्स प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की गयी एवं सर्टिफिकेट कोर्स संबंधी नियमावली तैयार की गयी।

1. समस्त सर्टिफिकेट कोर्स के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण का दायित्व प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का होगा।
2. उक्त प्रमाण–पत्र कोर्स 30 घंटे का होगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन की शुल्क कोर्स समन्वयक स्वयं तय कर सकेंगे।
3. सर्टिफिकेट कोर्स में पूरी तरह एकरूपता रखी जायेगी सभी कोर्स समन्वयकों को प्रोत्साहन बनाये रखने की दृष्टि से कुल शुल्क का 10 प्रतिशत मानदेय दिया जायेगा।
4. महाविद्यालय के विकास कार्य हेतु सर्टिफिकेट कोर्स की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान महाविद्यालय को आगामी पाठ्यक्रमों में सामग्री जुटाने/विकास कार्यों में किया जायेगा।
5. सर्टिफिकेट कोर्स हेतु समस्त मुद्रण यथा – प्रमाण–पत्र, फ्लेक्स, बैनर, ब्रोशर इत्यादि कार्य डॉ. संजय खरे के समन्वय से किया जा सकेगा।
6. सर्टिफिकेट कोर्स समन्वयक कोर्स से संबंधित अन्य सामग्री का क्रय पूर्व अनुमति उपरांत करेंगे एवं जिसका संधारण नियमानुसार पंजी में किया जावेगा।
7. कोर्स कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन होगा अतः दो कम्प्यूटर्स आपरेटर्स का सहयोग लिया जावेगा जो गूगल फार्म, Whats app ग्रुप लिंक बनाने का कार्य करेंगे।
8. सर्टिफिकेट कोर्स समन्वयक अनिवार्यतः एक ही होगा।
9. कोर्स, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के मार्गदर्शन में शासकीय अतिथि विद्वान या जनभागीदारी अतिथि विद्वान द्वारा भी संचालित किये जा सकते हैं।
10. कोर्स, विद्यार्थियों के ज्ञान में मूल्यवर्धन करने संबंधित हो। सामान्यतः कोर्स संचालक के विषय से संबंधित होने चाहिये। इसके अलावा कौशल विकास, रोजगार उनमूलक कोर्स भी संचालित किये जा सकेंगे।

11. कोर्स के बैनर, सर्टिफिकेट, लिंक, स्टेशनरी तथा अन्य आवश्यक सामग्री IQAC सेल द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी।

12. कोर्स से प्राप्त कुल धनराशि महाविद्यालय के बैंक खाते में जमा की जावेगी एवं राशि के व्यय IQAC सेल द्वारा निर्धारित नियमावली के तहत किया जायेगा।

13. खर्च करने की विभिन्न संभावित मदें होंगी

(a) स्टेशनरी (b) अध्ययन संबंधित सामग्री

(c) प्रयोग संबंधित सामग्री (d) कोर्स संचालक का मानदेय – 10% कुल प्राप्त राशि का

(e) विभिन्न विषय विशेषज्ञों का निर्धारित मानदेय (अधिकतम 1000/– प्रति व्याख्यान)

14. सभी प्रमाण पत्र कोर्स समन्वयक IQAC समिति सदस्यों से समन्वय कर संचालित करेंगे। समिति सदस्य का दायित्व होगा कि वे शुल्क जमा करने, ऑनलाइन क्लास के संचालन, तथा कोर्स के अंत में सभी कोर्स के लेखा का संधारण, निरीक्षण व देयकों के भुगतान का कार्य क्रय सामग्री का रजिस्टर में संधार आदि कार्य प्राचार्य जी के निर्देशानुसार करेंगे।

15. चूँकि उपरोक्त कार्य श्रमसाध्य तथा समय साध्य है अतः कोर्स के कुल आय का मात्र 1.5 प्रतिशत समिति अध्यक्ष को एवं 1–1 प्रतिशत सदस्य तथा 0.5% तकनीकी सहयोगियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का निर्णय लिया जाता है।

16. कोर्स संचालक महाविद्यालय के प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, अतिथि विद्वानों को विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करने के साथ अन्य महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्टाफ को भी आमंत्रित कर सकेंगे।

17. कोर्स कक्षाओं के समय के बाद ऑनलाइन संचालित किये जायेंगे।

18. NSS. Music, Dance स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा संचालित कोर्स में आवश्यकतानुसार बाह्य विशेषज्ञों को ऑफलाइन कोर्स संचालित करने की अनुमति लेनी होगी।

19. सभी कोर्स संचालकों को अपना पाठ्यक्रम तथा विशेषज्ञों की जानकारी IQAC सेल को अनिवार्यतः देनी होगी, जहाँ पर इसको संकलित किया जायेगा।

20. कोर्स में महाविद्यालय के बाहर की छात्र एवं छात्रायें या अध्ययन में रूचि रखने वाले नागरिक अपवादस्वरूप ऑनलाइन कक्षाओं में सहभागिता निर्धारित फीस देकर नियमों का पालन कर सकेंगे।

21. ऑफलाइन कक्षाओं में पुरूष छात्रों का पंजीयन नहीं किया जायेगा।

22. सभी कोर्स संचालक छात्राओं का पंजीयन ऑनलाइन कराते हुये अनिवार्यतः छात्राओं के सही E-mail ID लेकर कोर्स समाप्ति पर IQAC सेल को प्रतिवेदन (छात्राओं का फीडबेक कुछ फोटोग्राफ्स वक्ताओं की सूची तथा पंजीकृत छात्राओं की सूची) के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

23. वक्ताओं के मानदेय का प्रोफार्मा IQAC सेल द्वारा प्रदान किया जावेगा।

24. बैठक में निर्णय लिया गया कि समस्त सर्टिफिकेट कोर्स में आमंत्रित अतिथि वक्ताओं का मानदेय एवं अन्य भुगतान सर्टिफिकेट कोर्स के समापन उपरांत प्रस्तुत लेखा का परीक्षण व समीक्षा कर किया जावेगा।

(डॉ. अंजना नेमा)
IQAC प्रभारी

(डॉ. नवीन गिडियन)
नेक प्रभारी

(डॉ. बी.डी. अहिरवार)
प्राचार्य

PRINCIPAL
Govt. P.G. Girls College
SAGAR (M.P.)

(डॉ. संजय खरे) (डॉ भावना यादव)